



राजस्थान राज्य सूचना आयोग  
ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
(फोन एवं फैक्स नं. 0141-2719136)

क्रमांक 874-878


दिनांक 22-2-2021

संशोधित आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आयोग के न्यायालयों के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 2956-64 दिनांक 28.12.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए कोर्ट नंबर 2, 3 एवं 4 के क्षेत्राधिकार का पुर्ननिर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है।


कोर्ट नंबर	पूर्व क्षेत्राधिकार	संशोधित क्षेत्राधिकार
2	1. जयपुर संभाग (जयपुर महानगर को छोड़कर)	1. जयपुर संभाग (जयपुर महानगर को छोड़कर) 2. जिला जैसलमेर
3	1. जोधपुर संभाग 2. अजमेर संभाग	1. जोधपुर संभाग (जिला जैसलमेर को छोड़कर)
4	1. उदयपुर संभाग 2. कोटा संभाग	1. उदयपुर संभाग 2. कोटा संभाग 3. अजमेर संभाग

यह आदेश दिनांक 01 मार्च 2021 से प्रभावी होगा।

  
(डी.वी.गुप्ता)  
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. सलाहकार कोर्ट नंबर 1,2,3,4,5
2. रजिस्ट्रार।
3. प्रोग्रामर, सूचना आयोग।
4. केयर टेकर।
5. नोटिस बोर्ड।

  
सचिव,  
राजस्थान राज्य सूचना आयोग